



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12507

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 13588 वर्ष 2025

रमाशंकर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

आदेश कुमार, अखिलेश्वर प्रताप सिंह, बिपिन पाल सिंह, कंचन सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री कंचन सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- दातागंज, जिला- बदायूँ में मुकदमा अपराध संख्या 397 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 109, 352, 351(2), 103 बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में लगाए गए आरोपों के अनुसार उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग आठ घंटे विलंबित है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सामान्य और सर्वव्यापी (general and omnibus) प्रकृति के हैं, इसलिए इस स्तर पर अपराध के वास्तविक अपराधी की पहचान नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब जब मृतक को केवल तीन चोटें आई हैं जबकि अभियुक्तों की संख्या चार है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने अगला तर्क दिया कि आवेदक के नाम निर्दिष्ट आपराधिक इतिहास को शपथ-पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 10.01.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करने में असमर्थ रहे।
8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।
9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सहित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं, प्रथम दृष्टया में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- रमाशंकर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

12.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।